



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1265

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3987 वर्ष 2025

राज बल्लभ कुशवाहा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण दत्त तिवारी, योगेश तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनीश्वर सिंह तथा ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है:

“ए. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह ग्राम कनकपुरा, तप्पा तरकुलवा, परगना शाहजहाँपुर, तहसील देवरिया सदर, जनपद देवरिया स्थित गाटा संख्या 684, क्षेत्रफल 0.028 हेक्टेयर, जिसमें 0.002 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र सम्मिलित है, पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर हटाए।

बी. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र संख्या 18830 सन् 2025 (ग्राम सभा बनाम ध्रुव नाथ), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत है, का निर्णय करे तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2025 का अनुपालन करते हुए विवादित भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए, जो ग्राम कनकपुरा, तप्पा तरकुलवा, परगना शाहजहाँपुर, तहसील देवरिया सदर, जनपद देवरिया में स्थित है, और यह कार्य इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित बेदखली एवं हर्जाना आदेश दिनांक 08.05.2025 के विरुद्ध निजी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 21.06.2025 का पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है, जो तहसीलदार के समक्ष लंबित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त लंबित पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के शीघ्र निस्तारण हेतु समयबद्ध निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा दिनांक 8.5.2025 को बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया है तथा निजी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दाखिल दिनांक 21.6.2025 का पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र तहसीलदार के समक्ष लंबित है।

6. जहाँ तक तहसीलदार द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन का संबंध है, उसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में उक्त आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन का प्रावधान विनिर्दिष्ट है।

7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका का अंतिम निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2- तहसीलदार को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बेदखली एवं हर्जाना आदेश दिनांक 8.5.2025 के विरुद्ध दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.6.2025 का, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, विधि के अनुसार शीघ्र निर्णय करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 6, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।